FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0038 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 29/02/2024 15:37 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 12/07/2023 **Date To (दिनांक तक):** 17/07/2023

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 21:53 बजे **Time To (समय तक):** 18:02 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 29/02/2024 **Time (समय):** 13:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 29/02/2024 15:37:29 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 2 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** Nager Parshid Jalor

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Jitendra Kumar

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Hnja Ram

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1987 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Rajendar Nager, JALORE, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Rajendar Nager, JALORE, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-8290309667

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Dilip Mathur		पिता:O P Mathur	1. D-401,Aabu Road,Rico Colony,SIROHI,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		60,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 60,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें श्रीमान् अतिरक्ति पुलिस अधीक्षक, महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी जालौर । विषय- रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् । महोदयजी, उपरोक्त विषयन्तर्गत निवेदन है । कि मुझ प्रार्थी जितेन्द्र कुमार पुत्र हंजाराम जाति माली, निवासी राजेन्द्र नगर जालौर जो कि नगर परिषद् जालौर में मै. परिहार कन्ट्रक्शन कंपनी जालौर के नाम से फर्म पंजिकृत है। जिसमें समय समय पर सिवील कार्य के टेण्डर में भाग लेने पर सिवील कार्य मेरे फर्म के नाम से आवंटन होते है । जिस पर मैं जालौर शहर में नगर परिषद् से टेण्डर लेकर लगभग 16 लाख रूपये का शहर में कार्य करवाए जिसका बिल भुगतान हो गया है । अब मेरे द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर 20 लाख का कार्य किया गया है । जो कि कनिष्ठ अभियंता द्वारा माप पुस्तिका में इंद्राज कर बिल बनाया गया है तथा कनिष्ट अभियंता अनिल शर्मा द्वारा बिल सत्यापन कर के आगे अधिशाषी अभियंता को प्रस्तुत किया गया । जिस पर अधिशाषी अभियंता श्री दिलीप माथुर द्वारा बिल पास करने की एवज में मेरे से कुल 80 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई । जिस पर उसने उसी समय दिनांक 12.07.2023 को 60,000 हजार रूपये मेरे से दबाव देकर जबरदस्ती फोन-पे करवाए । बाकी के बीस हजार रूपये (20,000) रूपये और लाने को कहा, नहीं देने पर भविष्य में कोई भी बिल पास नहीं होने दूंगा ऐसा मेरे को कहा । मैं मेरे जायज काम को करवाने की एवज में मैं श्री दिलीप माथुर अधिशाषी अभियंता नगर परिषद् जालौर को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ । मैं श्री दिलीप माथुर अधिशाषी अभियंता को रिश्वत लेते हएु रंगे हाथों पकड़वाने चाहता हूं । मेरे व दिलीप माथुर के बीच किसी भी प्रकार की कोई लेन देन बकाया नहीं है । नही ही हमारे आपस में कोई आपसी रंजीश नहीं है । कानूनी कार्यवाही करावे। दिनांक- 17.07.2023 एसडी- जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री हंजा राम जाति माली, निवासी राजेन्द्र नगर जालौर, जिला जालौर, मो.नं. 8290309667 कार्यवाही पुलिस दिनाँक 17.07.2023 को समय 04.15 पी.एम. पर परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री हंजाराम जाति माली उम्र 37 साल, निवासी राजेन्द्र नगर जालोर पुलिस थाना कोतवाली जिला जालोर, मोबाईल नंबर 8290309667 ने कार्यालय हाजा मे उपस्थित होकर एक हस्त-लिखित रिपोर्ट मय स्व-प्रमाणित आधार कार्ड कि फोटो-प्रति मन् डां महावीरसिह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो जालोर के समक्ष प्रस्तुत की गई, प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार ने पुलिस दरियाफ्त पर बताया कि श्री दिलीप माथुर अधिशाषी अभियंता के फोन-पे नंबर 9414804015 है जिस पर 60,000 रुपये फोन-पे करवाये तथा परिवादी ने उक्त लिखित रिपोर्ट स्वयं के हस्त-लिखित होना व रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा रिपोर्ट में लिखे समस्त तथ्य सही होना बताया । परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार की रिपोर्ट में अंकित तथ्य एवं उसके कथनों से मामला किसी लोक-सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्ट्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) की परिभाषा में आने से प्रथमत रिश्वत राशी मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया जाकर मन् डां. महावीरसिंह राणावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो जालोर द्वारा कार्यालय में उपस्थित श्री कालूराम कानि. नं. 477 को कार्यालय कक्ष मे तलब कर परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार से उसका आपस में परस्पर परिचय करवाया गया । तत्पश्चात कार्यालय हाजा की आलमारी से डिजीटल टेप रिकार्डर निकालकर खाली होना सुनिश्चित कर डिजीटल टेप रिकार्डर परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार को चलाने की समझाईस की गई । परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार ने बताया कि श्री दिलीप माथुर अधिशाषी अभियंता जो आज मेरे से नगर परिषद जालोर में ही मेरे से मेरे कार्य के बारे मे तथा रिश्वती राशि के बारे मे वार्तालाप कर लेगें । परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार व श्री कालूराम कानि. नं. 477 के आपस मे मोबाईल नंबरो का आदान-प्रदान करवाया गया । श्री कालूराम कानि. नं. 477 को कार्यालय हाजा का डिजीटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर मय परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार के रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु आवश्यक हिदायत दी जाकर नगर परिषद जालोर के लिए रवाना किया गया । तत्पश्चात रिश्वती राशी मांग सत्यापन मे गया हुआ कालूराम कानि. नं. 477 मय परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार के कार्यालय हाजा में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया । श्री कालूराम कानि. नं. 477 ने डिजीटल टेप रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को स्वीच-ऑफ हालात में प्रस्तुत कर बताया कि मन् कानि. तथा परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार कार्यालय हाजा से रवाना होकर नगर परिषद जालोर के नजदीक पहूंचे । परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार को आवश्यक हिदायत दी जाकर गोपनीयता की दृष्टि से डिजीटल टेप रिकार्डर मन् कानि. ने ऑन कर वक्त करीबन 06.02 पी.एम पर परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार को सुपुर्द कर संदिग्ध अधिकारी श्री दिलीप माथुर अधिशाषी अधिकारी नगर

परिषद जालोर से वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु नगर परिषद जालोर के लिए रवाना किया गया। मन् कानि. अपनी उपस्थित को छुपाते हुए नगर परिषद जालोर के ईर्द-गिर्द खड़ा रहकर परिवादी के आने के इन्तजार में व्यस्त रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार नगर परिषद जालोर के परिसर से रवाना होकर निर्धारित स्थान पर मन् कानि. के पास उपस्थित आया। परिवादी को पूर्व में सुपुर्द सुदा डिजीटल टेप रिकार्डर मन् कानि. ने परिवादी से प्राप्त कर स्वीच-ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। पुछने पर परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार ने बताया की उसकी वार्ता संदिग्ध अधिकारी श्री दिलीप माथुर अधिशाषी अभियंता नगर परिषद जालोर से नगर परिषद जालोर के परिसर में होना तथा श्री दिलीप माथुर द्वारा बकाया बिलों का भुगतान करने की एवज में शेष रिश्वती राशि 20,000- रुपये लेने हेतु तय होना तथा उक्त रिश्वती राशि श्री दिलीप माथुर अधिशाषी अभियंता ने कभी भी लाकर देने हेतु कहा है। ताबाद मन् कानि. मय परिवादी के रवाना होकर कार्यालय हाजा उपस्थित आये जिस पर उपस्थित परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार ने श्री कालूराम कानि. के कथनों की ताईद की । डिजीटल टेप रिकार्डर को ऑन कर रिवर्स कर सुना गया तो डिजीटल टेप रिकार्ड में रिकार्ड वार्ता परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार व संदिग्ध अधिकारी श्री दिलीप माथुर के मध्य वार्ता होना तथा रिश्वती राशि मांग की पुष्टी होना पाया गया, जिसके संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि ट्रांस्क्रिप्ट के अनुसार परिवादी कह रहा है कि ये पांच बिल है जो करवा दो न तो आरोपी कह रहा है कि आ गए... उसका बीस हजार बाकी है तब परिवादी कहता है कि कैसे... बीस हजार बाकी है तब आरोपी कहता है साठ तो दिए है, सोलह पंजे अस्सी होते है। फिर आगे परिवादी कहता है कि कितने हुए ये साठ तो दे दिए , तब आरोपी कहता है कि अस्सी हुए , तब परिवादी कहता है कि हां अस्सी में से साठ गए पिछे बीस रहे तो, बीस मैं आपको सुबह दूंगा बस पक्का, अब तो मुझे क्यों मार रहे हो वगैरह वार्ता होना पायी गयी। परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार ने स्वयं तथा संदिग्ध अधिकारी श्री दिलीप माथुर अधिशाषी अभियंता के आवाज की पहचान की। डिजीटल टेप रिकार्डर स्वीच-ऑफ कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय हाजा की आलमारी में सुरक्षित रखकर ताला लगाकर चाबी स्वयं के कब्जे में रखी। उपस्थित परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार ने बताया की रिश्वती राशि 20,000 - रुपये की व्यवस्था कर आईन्दा अग्रीम कार्यवाही हेतु उपस्थित हो जाऊंगा, जिस पर परिवादी को रिश्वती राशि 20,000- रुपये की व्यवस्था कर शीघ्र कार्यालय हाजा पर अग्रीम कार्यवाही हेतु उपस्थित आने व अब तक की गई कार्यवाही बाबत् गोपनीयता की हिदायत दी जाकर रुकस्त किया गया। तत्पश्चात दिनाँक 26.07.2023 को परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार कार्यालय हाजा में उपस्थित आया तथा बताया कि मैने अपने स्तर पर मालूमात किया तो संदिग्ध अधिकारी श्री दिलीप माथुर अधिशाषी अभियंता नगर परिषद जालोर किसी कार्य से बाहर गये हुए है। संदिग्ध अधिकारी श्री दिलीप माथुर के उपस्थित आने पर मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20,000- रुपये की व्यवस्था कर अग्रीम कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाऊंगा। जिस पर परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार को प्रकरण में गोपनीयता की हिदायत दी जाकर रुकस्त किया गया। तत्पश्चात दिनांक 07.08.2023 को परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार कार्यालय हाजा में उपस्थित आया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैने मेरे स्तर पर मालूमात किया तो दिनांक 08.08.2023 को संदिग्ध अधिकारी श्री दिलीप माथुर अधिशाषी अभियंता नगर परिषद जालोर अपने कार्यालय में रहेगें जिससे रिश्वती राशि का आदान-प्रदान हो सकता है। जिस पर परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार को दिनांक 08.08.2023 को प्रात 08.00 ए.एम. पर रिश्वती राशि 20,000- रुपये साथ लेकर कार्यालय हाजा में उपस्थित आने की हिदायत दी जाकर रुकस्त किया गया। कार्यालय स्टाफ को भी दिनांक 08.08.2023 को प्रात 08.00 ए.एम. कार्यालय हाजा में उपस्थित आने हेतु पाबंद किया गया। दिनांक 08.08.2023 को समय 08.00 ए.एम. पर पूर्व पाबंद सुदा परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार कार्यालय हाजा में उपस्थित आया तथा कार्यालय स्टाफ भी कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यालय के पत्रांक 1336 दिनांक 08.08.2023 के श्रीमान उप-निदेशक (उधान) कृषि विभाग जालोर तथा पत्रांक 1337 दिनांक 08.08.2023 के श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (कृषि-विस्तार) कृषि विभाग जालोर के नाम तहरीर जारी कर गवाह पाबंद कर लाने हेतु श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140 को रवाना किया गया था, जिस पर श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140 मय दो स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री चौथुराम हाकला कृषि अधिकारी व श्री कमलेश कुमार सोलंकी कनिष्ठ सहायक के कार्यालय हाजा में उपस्थित आया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान का परिचय पुछा गया तो क्रमशः श्री चौथुराम हाकला हाल कृषि अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक (उधान) जालोर खण्ड जालोर, मोबाईल नंबर 7728053831 तथा श्री कमलेश कुमार सोलंकी हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) जालोर खण्ड जालोर, जिला जालोर, मोबाईल नंबर 8690525081, 9828056369 होना बताया। दोनो गवाहान को कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान बनने की सहमति चाही जाने पर उक्त दोनो ने अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। उपस्थित परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार से परस्पर परिचय करवाया गया। स्वतंत्र गवाहान को परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर सुनाई गई तथा पढाई गई। तत्पश्चात दोनो गवाहान ने उक्त रिपोर्ट पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड वार्तालाप को डिजीटल टेप रिकार्डर ऑन कर दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया, दोनो गवाहान ने भी रिश्वती राशि मांग की पुष्टी होना बताया। दोनो गवाहान ने परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार से रिपोर्ट तथा रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान रिकार्ड

सुदा वार्तालाप के संबंध में विस्तृत पुछताछ कर तसल्ली की। उपस्थित परिवादी ने रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20,000- रुपये साथ लाना बताया जिस पर अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए दोनों स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार को आरोपी श्री दिलीप माथुर अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद जालोर को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार ने पाँच सौ-पाँच सौ रुपये के 40 नोट कुल 20,000- रुपये अपने पास से निकाल कर पेश किये, प्रत्येक नोट के नंबर फर्द पेशकशी मे अंकित करवाये जाकर सभी नोटों को अखबार पर रखवाया जाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशि मंगवाई जाकर प्रत्येक नोट पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर श्री गुलाबसिंह कानि. 140 से लगवाया जाकर फिनोफथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की क्रिया-प्रतिक्रिया के बारे मे हाजरीन को समझाया गया, विस्तृत विवरण उक्त फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर एवं सुपुर्दगी रिश्वति राशि मे अंकित किया गया। फर्द पर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 08.08.2023 को उपस्थित परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरे फोन पर टेक्स मैसेज मेरे खाते में पैसे जमा होने बाबत् आया जिस पर मैने मेरा फोन-पे चेक किया तो संदिग्ध अधिकारी श्री दिलीप माथुर अधिशाषी अभियंता ने मेरे फोन-पे पर 60,000- रुपये जमा किये है। जिस पर परिवादी के मोबाईल फोन में फोन-पे एकाउंट को चेक किया गया तो 60,000- रुपये जमा होना पाया गया। उक्त फोन-पे विवरण मय राशि जमा होने बाबत् परिवादी के मोबाईल पर प्राप्त टेक्स मैसेज का स्क्रिन शॉट लिया जाकर उक्त को कम्प्यूटर के माध्यम से प्रिन्ट आउट लिये जाकर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा परिवादी से संदिग्ध अधिकारी श्री दिलीप माथुर की जरीये कॉल/वाट्सअप कॉल वार्ता करवाने का निर्णय लिया जाकर परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार के मोबाईल नंबर 8290309667 से संदिग्ध आरोपी श्री दिलीप माथुर के मोबाईल नंबर 9414804015 पर नार्मल कॉल करवाया गया तो संदिग्ध आरोपी ने कॉल उठाया नहीं, जिस पर परिवादी से वाट्सअप कॉल करवाई गई तो दो बार संदिग्ध आरोपी ने कॉल उठाया नहीं। तत्पश्चात वक्त 10.03 ए.एम. पर पुनः वाट्सअप कॉल करवाया गया तो संदिग्ध अधिकारी ने कॉल रिसीव किया, उक्त वाट्सअप कॉल को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में परिवादी व संदिग्ध अधिकारी श्री दिलीप माथुर के मध्य हुई वाट्सअप कॉल वार्तालाप रिकार्ड करवाई गई। उक्त वार्ता सुनने पर परिवादी ने संदिग्ध अधिकारी श्री दिलीप माथुर को कहा कि साहब पैसा पाछा किकण भेज्या है, जिस पर श्री दिलीप माथुर ने कहा कि हमें जरुरत कोनी जरे जरुत ही जे ले लिया पाछा दे दिया अब आया था म्हारे तो कोई दिक्कत कोनी है जी मैं थोडो जरुरी काम हूं हम अबार उक्त वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार ने बताया की संभवतया संदिग्ध अधिकारी श्री दिलीप माथुर अधिशाषी अभियंता नगर परिषद जालोर को ट्रेप कार्यवाही की भनक लग चुकी है, श्री दिलीप माथुर ने पूर्व में प्राप्त रिश्वती राशि 60,000/- रुपये पुनः जरीये फोन-पे लौटा दिये है, अब शेष रिश्वती राशि 20,000/- रुपये मेरे से प्राप्त नहीं करेगें। उपरोक्त कार्यवाही मे अग्रीम ट्रेप कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होने से परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार के पहनी हुई टी-शर्ट की उपरी बांयी जेब में रखी हुई रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20,000/- रुपये स्वतंत्र गवाह श्री चौथुराम हाकला से निकलवाये जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय हाजा की आलमारी में सुरक्षित रखे गये। रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 17.07.2023 तथा आज दिनांक 08.08.2023 को हुई वाट्सअप कॉलिंग वार्तालाप की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से तैयार करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रुबरु स्वतंत्र गवाहान एवं बमौजूदगी परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार के दिनांक 17.07.2023 को परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार व आरोपी श्री दिलीप माथुर अधिशाषी अभियंता के मध्य रुबरु हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजीटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड है को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुन-सुन एवं सुनाकर श्री कालूराम कानि. नं. 477 के सहयोग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप पृथक से मूर्तिब कर फर्द पर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप डिजीटल टेप रिकार्डर से कार्यालय कम्प्यूटर में लोड करवाकर कम्प्यूटर के माध्यम से वार्तालाप की दो पेन-ड्राईव तैयार करवाई जाकर एक पेन-ड्राईव को मूल मानते हुए एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सील चेपा कर मार्क D अंकित कर थैली पर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दूसरी पेन-ड्राईव को डब मानते हुए खुली हालात मे रखी गई। इसी प्रकार दिनांक 08.08.2023 को परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार व आरोपी श्री दिलीप माथुर अधिशाषी अभियंता के मध्य रिश्वती राशि लेन-देन से पूर्व हुई वाट्सअप कॉलिंग वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजीटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड है को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुन-सुन एवं सुनाकर श्री कालूराम कानि. नं. 477 के सहयोग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि लेन-देन से पूर्व हुई वाट्सअप कॉलिंग वार्तालाप पृथक से मूर्तिब कर फर्द पर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप डिजीटल टेप रिकार्डर से कार्यालय कम्प्यूटर में लोड करवाकर कम्प्यूटर के माध्यम से वार्तालाप की दो पेन-ड्राईव तैयार करवाई जाकर एक पेन-ड्राईव को मूल मानते हुए एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सील चेपा कर मार्क W अंकित कर थैली पर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दूसरी पेन-ड्राईव को डब मानते हुए खुली हालात मे रखी गई। संदिग्ध अधिकारी श्री दिलीप माथुर अधिशाषी अभियंता व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार द्वारा की गई। तत्पश्चात

उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में बतौर वजह सबूत मालखाना आईट्म्स क्रमशः रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 17.07.2023 की एक मूल पेन-ड्राईव एक सफेद कपडे की थैली में सील-बंद मार्क D तथा एक पेन-ड्राईव खुली हालात में एवं दिनांक 08.08.2023 को रिश्वती राशि लेन-देन से पूर्व हुई वाट्सअप कॉलिंग वार्तालाप की एक मूल पेन-ड्राईव एक सफेद कपडे की थैली में सील-बंद मार्क W तथा एक पेन-ड्राईव खुली हालात श्री सुखाराम हैड.कानि. नं. 96 मालखाना प्रभारी को दुरस्त हालात में सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाया जाकर जमा मालखाना किया गया। परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार ने रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500 रुपये के 40 नोट कुल राशि 20,000/- रुपये लौटाने हेतु प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जिस पर कार्यालय हाजा की आलमारी में रखी रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20,000/- रुपये निकलवाये जाकर 500-500 रुपये के नोटो पर लगे हुए फिनोफ्थलीन पाउडर को भली-भांति साफ कर उक्त रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20,000/- रुपये परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार को जरिये प्राप्ति रसीद लौटाये जाकर उक्त प्रार्थना पत्र मय प्राप्ति रसीद शामिल पत्रावली की गई। परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार व स्वतंत्र गवाह श्री चौथुराम हाकला व श्री कमलेश कुमार सोलंकी को रुकस्तगी दी गई। उपरोक्त अब तक की संपूर्ण कार्यवाही से परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री हंजाराम जाति माली उम्र 37 साल, निवासी राजेन्द्र नगर जालोर पुलिस थाना कोतवाली जिला जालोर से उसकी फर्म M/S कन्ट्रक्शन कंपनी जालोर द्वारा नगर परिषद जालोर के क्षैत्राधिकारी में करवाये गये विभिन्न विकास कार्यों के प्राप्त टेण्डरों के बिलों का भुगतान करवाने की एवज में आरोपी श्री दिलीप माथुर अधिशाषी अभियंता नगर परिषद जालोर द्वारा 80,000/- रुपये रिश्वती राशि की मांग करना तथा परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार से दिनांक 12.07.2023 को 60,000/- रुपये आरोपी श्री दिलीप माथुर अधिशाषी अभियंता द्वारा स्वयं के मोबाईल नंबर 9414804015 पर फोन-पे से प्राप्त करना एवं दिनांक 17.07.2023 को दौराने रिश्वती राशि मांग सत्यापन शेष रिश्वती राशि 20,000/- रुपये (अक्षरे बीस हजार रुपये) की मांग कर लेना तय होना। तत्पश्चात आरोपी श्री दिलीप माथुर को उसके विरुद्ध की जा रही ट्रेप कार्यवाही की संभवतया भनक लगने से पूर्व में प्राप्त 60,000/- रुपये (अक्षरे साठ हजार रुपये) दिनांक 08.08.2023 को परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार के मोबाईल नंबर 8290309667 पर फोन-पे से पुनः लौटाना पाया गया। आरोपी श्री दिलीप माथुर अधिशाषी अभियंता नगर परिषद जालोर का उपरोक्त कृत्य अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। अतः श्री दिलीप माथुर पुत्र श्री ओपी माथुर, उम्र- 58 साल, निवासी- डी 401, रिको कॉलोनी, आबूरोड़, जिला सिरोही, हाल अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद् जालौर, जिला जालौर के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) मे बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रीम अनुसंधान के आदेश फरमावे। भवदीय (डॉ. महावीर सिंह राणावत) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि. ब्यूरो जालोर। .....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. महावीर सिंह राणावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में श्री दिलीप माथुर पुत्र श्री ओपी माथुर निवासी-डी 401, रिको कॉलोनी, आबूरोड जिला सिरोही, हाल अधिशाषी अभियंता नगर परिषद् जालोर, जिला जालोर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 38/2024 उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री चैनप्रकाश, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-द्वितीय को सुपुर्द कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर जारी की गई उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 437 पर अंकित है। (रणधीर सिंह) उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांकः–183-86 दिनांक 29-02-2024 प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली। 2- निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर। उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** CHEN PRAKASH **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Randhir Singh
Location: Rajasthan,IN
Date: 29/02/2024 16:34:48

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Randheer Singh

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	09/06/1966				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)